

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 16(3)एम.ई./ग्रुप-1/2020

जयपुर, दिनांक: 14 OCT 2020

—:परिपत्र:—

राज्य के निजी चिकित्सालयों को राज.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अंतर्गत राज्य कर्मियों एवं पेन्शनर्स के चिकित्सा हेतु एम्पेनेलमेन्ट किये जाने की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जा चुका है। दिनांक 15.10.2020 से निजी चिकित्सालयों के एम्पेनेलमेन्ट हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया ही उपलब्ध रहेगी।

ऑनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं User manual संलग्न है।

आज्ञा से

✓

(वैभव गालरिया)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. कमिश्नर एवं विशिष्ट सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर।
5. ए.सी.पी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

13/10/2020
संयुक्त शासन सचिव